न्यायालय संख्या-9

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)
माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्या0)

निर्देश याचिका संख्या- 338/2021

श्रीमती रश्मि, आयु लगभग 52 वर्ष, पत्नी श्री देवेन्द्र पाल सिंह, निवासी- 1/156, विकल्प खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, वर्तमान में तैनात-उप निदेशक (अर्थशास्त्र एवं संख्यिकी प्रभाग) योजना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

---याचिनी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, योजना विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, सिविल सचिवालय, लखनऊ।

---विपक्षी।

याची की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी0के0यादव
विपक्षीगण की तरफ से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

निर्णय

द्वाराः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)

याचिनी द्वारा यह याचिका राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा-4 के अन्तर्गत आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 06-11-2019 (संलग्नक सं0-1) जिसके द्वारा याचिनी को उसकी दो वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोके जाने के साथ-साथ परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है, को खण्डित किये जाने हेतु योजित की गयी है।

2- संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिनी की नियुक्ति जुलाई, 1992 में अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी अधिकारी के पद पर हुई थी। तदोपरान्त उसे नवम्बर, 2012 में उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या प्रभाग) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। याचिनी का कथन है कि जब वह उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के पद पर कार्यरत थी तब उसके द्वारा अपने फेसबुक एकाउण्ट पर सरकार की कानून-व्यवस्था पर एक पोस्ट अंकित किया गया जो दिनॉक 04-02-2018 के दैनिक जागरण के संस्करण में शीर्षक "अब महिला अफसर की पोस्ट पर विवाद" प्रकाशित हुआ। याचिनी का कथन है कि उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर/

प्र0 आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा पत्र दिनॉंकित 03–02–2018 (संलग्नक सं0–2) निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण मॉंगा गया जो उसके द्वारा पत्र दिनॉंकित 04–02–2018 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि उसके द्वारा पूर्व में ही फेसबुक पर दिनॉंक 02–02–2018 को खेद व्यक्त किया जा चुका है तथा याचिनी द्वारा पुनः खेद व्यक्त कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने का कथन किया गया। तदोपरान्त आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा याचिनी को भविष्य के लिये सचेत कर पुनरावृत्ति न होने सम्बन्धी कार्यालय आदेश दिनॉंकित 05–02–2018 पारित कर दिया गया। याचिनी द्वारा स्पष्टीकरण दिनॉंकित 04–02–2018 व कार्यालय आदेश दिनॉकित 05–02–2018 की छायाप्रति संलग्नक सं0–2 के साथ संलग्न की गयी है। याचिनी का अग्रेतर कथन है कि इसी प्रकरण में पुनः शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनॉंकित 28–02–2018 द्वारा याचिनी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी तथा प्रकरण की जॉंच हेतु अपर निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं संख्या प्रभाग मुख्यालय को जॉंच अधिकारी नामित किया गया। तदोपरान्त जॉंच अधिकारी द्वारा याचिनी को आरोप पत्र दिनॉंकित 28–02–2018 (संलग्नक सं0–3) निर्गत किया गया जिसमें उस पर यह आरोप लगाया गया कि "आप द्वारा उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर में राजपत्रित अधिकारी समूह "क" के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने फेसबुक एकाउण्ट पर सरकार की कानून व्यवस्था पर एक अनाधिकृत एवं अनावश्यक टिप्पणी पोस्ट की गयी जो दिनॉंक 04–02–2018 को दैनिक जागरण के संस्करण में शीर्षक "अब महिला अफसर की पोस्ट पर विवाद" प्रकाशित की गयी जो निम्नवत् हैः– "गणतंत्र दिवस पर कासगंज सम्प्रदायिक हिंसा में मारे गये चन्दन गुप्ता प्रकरण में बरेली के डी0एम0 के फेसबुक कमेंट का मामला अभी शान्त भी नहीं हुआ था कि जनपद के सांख्यिकी विभाग की डिप्टी डायरेक्टर रश्मि वरूण ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि चन्दन गुप्ता को खुद भगवा ने मारा है। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक नया तूफान खड़ा हो गया है। हलॉंकि बाद में वह खुद ही बैकफुट पर आ गयी और पोस्ट के लिए मॉंफी मॉंगी है। फेस बुक पर महिला डिप्टी डायरेक्टर रश्मि वरूण का एकाउण्ट है। इस एकाउण्ट की कई पोस्ट आजकल सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि कासगंज की तिरंगा रैली कोई नयी बात नहीं है। इससे पहले भी डा0 अम्बेडकर जयन्ती पर सहारनपुर के सड़क दूधली में यात्र.ा निकाली गयी थी। उसमें अम्बेडकर गायब थे या

कहिए भगवा रंग में विलीन हो गये थे। कासगंज में भी यही हुआ। तिरंगा गायब और भगवा शीर्ष पर। जो लड़का मारा गया उसे दूसरे समुदाय ने नहीं मारा। उसे भगवा ने खुद मारा। रश्मि का कहना है कि फेसबुक पोस्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गयी है जो किसी के खिलाफ हो। बरेली डी0एम0 आर0विक्रम सिंह की फेसबुक पर टिप्पणी को शेयर करते हुए रश्मि ने लिखा है कि सही इंसान को भी माफी मांगनी पड़ती है" आपका उक्त कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली-1956 के नियम-7 का उल्लंघन है। याचिनी द्वारा उक्त आरोप पत्र का विस्तृत उत्तर दिनॉकित 21-03-2018 (संलग्नक सं0-4) जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उसके द्वारा समस्त वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया गया। याचिनी का कथन है कि आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त करने के उपरान्त जॉच अधिकारी द्वारा बिना कोई नियमानुसार जॉच किये अपनी जॉच आख्या दिनॉकित 12-04-2018 (संलग्नक सं0-5) दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें जॉच अधिकारी द्वारा याचिनी पर लगाये गये आरोप को सिद्ध पाया गया। तदोपरान्त दण्डाधिकारी द्वारा याचिनी को कारण बताओ नोटिस दिनॉकित 05-09-2018 (संलग्नक सं0-6) निर्गत कर अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। उक्त कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त याचिनी द्वारा दिनॉक 07-06-2018 को विस्तृत उत्तर (संलग्नक सं0-7) दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा समस्त वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया गया। याचिनी का कथन है कि उसके द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या के सम्बन्ध में अनुपूरक उत्तर दिनॉकित 20-08-2018 (संलग्नक सं0-8) भी प्रस्तुत किया गया। परन्तु याचिनी के अनुसार दण्डाधिकारी द्वारा उसके स्पष्टीकरण/उत्तर पर बिना कोई विचार किये उसके विरूद्ध आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 06-11-2019 पारित कर दिया गया। याचिनी का कथन है कि उक्त दण्डादेश पर पुनर्विचार किये जाने हेतु उसके द्वारा प्रत्यावेदन दिनॉकित 08-01-2020 दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया परन्तु जब प्रत्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तब उसके द्वारा पुनः दण्डाधिकारी के समक्ष अनुस्मारक प्रस्तुत किया गया परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर याचिनी द्वारा यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3- विपक्षी द्वारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया कि प्रकरण में याचिनी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी तथा प्रकरण की जॉच हेतु अपर निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं संख्या प्रभाग मुख्यालय को

जॉंच अधिकारी नामित किया गया। तदोपरान्त जॉंच अधिकारी व्दारा याचिनी को आरोप पत्र दिनॉंकित 28-02-2018 निर्गत किया गया जिसका उत्तर याचिनी व्दारा प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त जॉंच अधिकारी व्दारा नियमानुसार जॉच सम्पादित कर अपनी जॉंच आख्या दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें जॉंच अधिकारी व्दारा याचिनी पर लगाये गये आरोप को सिद्ध पाया गया। तदोपरान्त दण्डाधिकारी व्दारा याचिनी को बचाव का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी जिसका स्पष्टीकरण याचिनी व्दारा प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारोपरान्त दण्डाधिकारी व्दारा सकारण व मुखरित दण्डादेश दिनॉंकित 06-11-2019 याचिनी के विरूद्ध पारित कर दिया गया जिसमें कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अतः याचिनी व्दारा योजित याचिका बलहीन है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

4- याचिनी व्दारा प्रत्योत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसके व्दारा विपक्षीगण व्दारा दाखिल लिखित-कथन का विरोध करते हुए याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5- हमारे व्दारा याचिनी के विव्दान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विव्दान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6- याचिनी के विव्दान अधिवक्ता व्दारा हमारे सक्षम यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याची को जॉंच अधिकारी व्दारा जॉंच के दौरान सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। जॉंच अधिकारी व्दारा मौखिक जांच हेतु दिनांक, समय एवं स्थान निर्धारित नहीं किया गया और मात्र परिकल्पना/सम्भावनाओं के आधार पर याचिनी को सरकार की नीतियों ककी आलोचना करने का दोषी माना है। अतः जॉंच अधिकारी व्दारा बिना कोई नियमानुसार जॉंच किये याचिनी को दोषी सिद्ध किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

7- उपर्युक्त के सम्बन्ध में हमारे व्दारा प्रकरण में अपर निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व्दारा दी गयी जॉंच आख्या दिनॉंकित 12-04-2018, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि जॉंच अधिकारी व्दारा जॉंच के दौरान न तो मौखिक जांच हेतु दिनॉंक, समय

एवं स्थान निर्धारित नहीं किया गया है और न ही याचिनी को मौखिक जाँच का अवसर प्रदान किया गया।

8- विभागीय कार्यवाही में मौखिक जांच की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **राधे कान्त खरे बनाम उ0प्र0 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड, 2003 (21) एल0सी0डी0, पेज-610** में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है-

> ***" after a chargesheet is given to the employee, an oral enquiry is a must, whether the employee requests for it or not. Hence a notice should be issued to him indicating him the date, time and place of the enquiry. On that date the oral and documentary evidence against the employee should first be led in his presence vide A.C.C. Ltd. V. Their Workmen (1963) 11 LLJ 396 (SC)."***

9- माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **योग नारायण दूबे बनाम प्रबन्ध निदेशक व अन्य 2012 (29) LCD 2024** में यह अवधारित किया है कि यदि जांच अधिकारी केवल अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र के सम्बन्ध में दिये गये जवाब के आधार पर जांच आख्या प्रस्तुत कर देता है और कोई मौखित जांच तिथि, समय व स्थान निर्धारित करते हुए नहीं करता है तो वह जांच रिपोर्ट दूषित मानी जायेगी।

10- माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ***Moti Ram versus State of U.P. and others [2013 (31) LCD 1319],*** में निम्नलिखित व्यवस्था दी हैः-

> ***"that after referring the various judgment of the Hon'ble Apex Court with regard to the importance of holding oral enquiry after the charge-sheet is given to the employee held that a proper opportunity must be afforded to Government servant at the stage of enquiry after the charge-sheet is supplied to the delinquent as well as at the second stage when punishment is about to be imposed on him."***

11- उपर्युक्त न्यायिक व्यवस्थायें इस निष्कर्ष को बल देती हैं कि वर्तमान प्रकरण में जाँच अधिकारी व्दारा जांच का कार्यक्रम नियत न करके, मौखिक या किसी भी तरह की कोई तथ्यान्वेशी जांच न करके तथा दस्तावेजी साक्ष्य के तथ्यों को सिद्ध करने की कार्यवाही न करके जांच अधिकारी द्वारा न केवल संगत विधि का हनन किया गया है अपितु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की भी उपेक्षा की गयी है।

12- उपरोक्त के अतिरिक्त जाँच अधिकारी व्दारा जाँच आख्या में मात्र याची व्दारा दिये गये आरोप पत्र के उत्तर का उल्लेख करते हुए यह कथन किया गया है कि "उक्त फेसबुक टिप्पणी की भाषा शैली से स्पष्ट है कि उक्त फेसबुक टिप्पणी का उद्देश्य वस्तुतः गलती का अहसास होने पर क्षमा मांगना न होकर, आलोचनाओं से आहत होकर

शायराना अंदाज में लिखा गया एक औपचारिक माफीनामा मात्र प्रतीत होता है, लेकिन अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के उत्तर दिनॉंक 21-03-2018 में दिनॉंक 28 जनवरी, 2018 को अपने फेसबुक पर अंकित की गयी टिप्पणी के लिए क्षमा याचना करते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति न किये जाने का आश्वासन दिया गया है, जिसे संज्ञान में लिया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि क्षमा/माफी के क्रम में यह लिखने कि "जुनूं का दौर है किस किस को समझाएं, उधर भी होश के दुश्मन इधर भी दीवाने" और यह कि "जलने वालों की दुआओं से ही बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते", का कोई औचित्य दृष्टिगोचर नहीं होता। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपचारी अधिकारी श्रीमती रश्मि, उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ने राजपत्रित अधिकारी समूह "क" के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने फेसबुक एकाउण्ट पर सरकारी की कानून व्यवस्था पर एक अनाधिकृत एवं अनावश्यक टिप्पणी पोस्ट की गई, जो दिनॉंक 04-02-2018 को "दैनिक जागरण" के संस्करण में शीर्षक "अब महिला अफसर की पोस्ट पर विवाद" प्रकाशित की गई। बरेली डी0एम0 श्री आर0 विक्रम सिंह की फेसबुक पर टिप्पणी को शेयर करते हुए अपचारी अधिकारी द्वारा अपने फेसबुक एकाउण्ट पर अंकित की गयी टिप्पणी कि "सही इंसान को भी माफी मांगनी पड़ती है" भी अप्रत्यक्ष सरकार की आलोचना है। अपचारी अधिकारी का उक्त कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम-7 का उल्लंघन है। आरोप संख्या-1 अपचारी अधिकारी पर पूर्णतया सिद्ध होता है।

13- उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक तरफ तो जाँच अधिकारी द्वारा यह कथन किया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के उत्तर दिनॉंक 21-03-2018 में दिनॉंक 28 जनवरी, 2018 को अपने फेसबुक पर अंकित की गयी टिप्पणी के लिए क्षमा याचना करते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति न किये जाने का आश्वासन दिया गया है, जिसे संज्ञान में लिया जाना उचित प्रतीत होता है तथा दूसरी तरफ यह कहते हुए कि बरेली डी0एम0 श्री आर0 विक्रम सिंह की फेसबुक पर टिप्पणी को शेयर करते हुए अपचारी अधिकारी द्वारा अपने फेसबुक एकाउण्ट पर अंकित की गयी टिप्पणी कि "सही इंसान को भी माफी मांगनी पड़ती है" भी अप्रत्यक्ष सरकार की आलोचना है, याचिनी को लगाये गये आरोप के लिये दोषी माना है, जो स्वयं में विरोधाभासी है। अतः हमारे विचार से जाँच अधिकारी द्वारा दी गयी जाँच आख्या नियमानुसार न होने के साथ-साथ

सुस्पष्ट जाँच आख्या नहीं है, अर्थात दूषित जाँच आख्या है और दूषित जाँच आख्या के आधार पर पारित दण्डादेश भी स्थिर रहने योग्य नहीं है।

14- याचिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन भी किया गया कि इसी प्रकरण में याची को जिलाधिकारी, सहारनपुर/ प्र0 आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा पत्र दिनाँकित 03-02-2018 निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण माँगा गया जो उसके द्वारा पत्र दिनाँकित 04-02-2018 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा याचिनी को भविष्य के लिये सचेत कर पुनरावृत्ति न होने सम्बन्धी कार्यालय आदेश दिनाँकित 05-02-2018 पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में याचिनी को इसी प्रकरण में पुनः अनुशासनिक कार्यवाही कर वृहद दण्ड से दण्डित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

15- याचिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये उपरोक्त कथनों का उल्लेख याचिका के प्रस्तर 4.4 में किया गया है। याचिनी द्वारा याचिका के साथ जिलाधिकारी, सहारनपुर/ प्र0 आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा निर्गत पत्र दिनाँकित 03-02-2018, उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण दिनाँकित 04-02-2018 तथा आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनाँकित 05-02-2018 की छायाप्रति संलग्नक सं0-2 के रूप में दाखिल की गयी है। उपरोक्त आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याचिनी द्वारा अपने फेसबुक एकाउण्ट पर सरकार की कानून-व्यवस्था पर अंकित पोस्ट जो दिनाँक 04-02-2018 के दैनिक जागरण के संस्करण में शीर्षक "अब महिला अफसर की पोस्ट पर विवाद" प्रकाशित हुआ, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर/ प्र0 आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा पत्र दिनाँकित 03-02-2018 निर्गत किया गया जिसका स्पष्टीकरण उसके द्वारा पत्र दिनाँकित 04-02-2018 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि उसके द्वारा पूर्व में ही फेसबुक पर दिनाँक 02-02-2018 को खेद व्यक्त किया जा चुका है तथा याचिनी द्वारा पुनः खेद व्यक्त कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने का कथन किया गया जिस पर विचारोपरान्त आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा याचिनी को भविष्य के लिये सचेत कर पुनरावृत्ति न होने सम्बन्धी कार्यालय आदेश दिनाँकित 05-02-2018 पारित कर दिया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि याचिनी को प्रकरण में पूर्व में न तो अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत कोई कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी और न ही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं

अपील) नियमावली, 1999 में उल्लिखित लघु दण्ड अथवा वृहद दण्ड से दण्डित किया गया बल्कि याचिनी को भविष्य के लिये सचेत किया गया, जो दण्ड की श्रेणी में नहीं है। ऐसी स्थिति में याचिनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि एक ही प्रकरण में याचिनी को दो बार दण्डित किया गया है, मान्य नहीं है।

16- याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य दण्डादेश को अपास्त करने हेतु यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि याची ने कारण बताओ नोटिस का विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था परन्तु दण्डाधिकारी द्वारा उसके किसी भी बिन्दु पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया तथा प्रश्नगत दण्डादेश पारित कर दिया गया जिसे सकारण व मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अतः दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

17- उपरोक्त के सम्बन्ध में हमारे द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश दिनाँकित 06-11-2019 तथा याचिनी द्वारा कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में दिये गये अभ्यावेदन, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, का अवलोकन किया गया। याचिनी द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह कथन किया गया कि उसके द्वारा मात्र फेसबुक पर की गयी टिप्पणी प्रश्नगत तिरंगा रैली व अम्बेडकर जयन्ती के पश्चात् निकाली गई शोभा यात्रा से संबंधित है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित कोई राजकीय समारोह, उत्सव, विकास कार्यक्रम या नीति का कोई मूर्तरूप नहीं है, जिसकी आलोचना उसके द्वारा की गयी हो, न ही उकसे द्वारा उक्त टीप में सरकार की कानून व्यवस्था पर कोई टिप्पणी की गयी है। जहाँ तक समाचार पत्र के द्वारा टीप के आधार पर की गयी आलोचना का प्रश्न है वह उनके द्वारा स्वयं की गयी है और इस आलोचना के लिये वह स्वयं उत्तरदायी हैं। याचिनी द्वारा यह कथन भी किया गया कि फेसबुक पर जो टिप्पणी उसके द्वारा की गयी, उसको दैनिक जागरण के लखनऊ के अंक दिनाँक 04-02-2018 में हूबहू नहीं छापा गया है। उसके द्वारा फेसबुक पर लिखा गया था कि "जो लड़का मारा गया उसे किसी दूसरे तीसरे समुदाय ने नहीं मारा" जिसका स्पष्ट आशय था कि इस तरह के आयोजनों में किसी समुदाय विशेष का अहित नहीं होता, किसी का भी हो सकता है और हम स्वयं उसके शिकार हो सकते हैं। समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किया गया कि "जो लड़का मारा गया उसे दूसरे समुदाय ने नहीं मारा" जिसका स्पष्ट आशय किसी खास समुदाय के लिये हो जाता है। इस प्रकार समाचार पत्र द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर अपने पत्र में टिप्पणी कर प्रकरण को एक अलग रंग देने का प्रयास किया है। परन्तु

प्रश्नगत दण्डादेश दिनाँकित 06-11-2019 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दण्डाधिकारी व्दारा अपने आदेश में मात्र याचिनी को निर्गत आरोप पत्र में लगाये गये आरोप, याचिनी व्दारा दिये गये उत्तर, जाँच अधिकारी की जाँच आख्या, याचिनी व्दारा दिये गये अभ्यावेदन के के कथनों का उल्लेख करते हुए मात्र यह कथन किया गया है कि "अपचारी अधिकारी श्रीमती रश्मि, उप निदेशक, राजपत्रित अधिकारी समूह "क" के पद पर कार्यरत रहते हुए सरकार की कानून व्यवस्था पर एक अनधिकृत एवं अनावश्यक टिप्पणी पोस्ट की गयी जो यह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की आलोचना है। आरोप पत्र के उत्तर में शायराना अंदाज में अभिव्यक्ति भी औचित्यपूर्ण नहीं है। सिद्ध पाये गये आरोप के दृष्टिगत श्रीमती रश्मि, उप निदेशक व्दारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में ऐसा कोई नवीन तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो उन्हें दोषमुक्त कर सके। उक्त दण्डादेश को किसी भी दशा में सकारण व मुखरित आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि दण्डाधिकारी व्दारा याची व्दारा स्पष्टीकरण में किये गये उपरोक्त कथनों में से किसी भी कथन पर कोई अभिमत अपने आदेश में नहीं व्यक्त किया गया है जबकि दण्डाधिकारी का यह दायित्व था कि वे याची के स्पष्टीकरण के प्रत्येक बिन्दु पर विचार कर अपना अभिमत व्यक्त करते जो उनके व्दारा नहीं किया गया। अतः इसी आधार पर भी प्रश्नगत दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

18- मुखरित व सकारण आदेश के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय ने **राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार सरकार व अन्य 2006 सुप्रीम कोर्ट केसेज** ;**एल0एण्ड एस0, 679 में** निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है–:

> ***"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishments, nevertheless Rule 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show-cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to the show-cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order, therefore, cannot be sustained and must be and is set aside. "***

19- **कारण"** और **"निष्कर्ष"** के विभेद को स्पष्ट करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने **युनियन आफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर,** (1973) 2 **एससीसी** 836 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."

20- इसी प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय ने **जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी** 2010 ;2, **एस0सी0सी,** 947 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है-:

"that the requirement of recording reasons by every quasi judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facets of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."

21- इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जे0अशोका बनाम कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी (2017) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज, 609 के प्रस्तर 24 में सिद्धांत प्रतिपादित किया है-:

"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject-matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached. Only in this way can opinions or directions recorded be shown to be manifestly just and reasonable."

22- उपरोक्त विवेचना के आधार पर हमारे विचार से याचिनी के विरूद्ध पारित दण्डादेश पूर्णतः विधि सम्मत नहीं है, अतः स्थिर रहने योग्य नहीं है। सेवा विधि में सम्भावना की प्रबलता (*Preponderance of probability*) का प्रमाण एक वैधानिक मानक है जिसका तात्पर्य है कि नियुक्ति प्राधिकारी यह दिखाने में सक्षम होगा कि कार्मिक के कदाचार की सम्भावना कम होने की तुलना में अधिक है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अपराधिक दुराचरण के प्रकरणों में साक्ष्य उचित संदेह से परे (*Beyond reasonable doubt)* सिद्ध होना चाहिये किन्तु सेवा विधि में सम्भावना की प्रबलता (*Preponderance of probability*) को वरीयता है। सम्भवना अधिक होने की अपेक्षा न्यायाधिकरण को यह विश्वास हो जाना चाहिये कि कथित कदाचार हुआ था, इसकी सम्भावना अधिक है। सेवा विधि में यह सिद्धान्त प्रशासनिक दक्षता तथा निरपेक्ष कार्य प्रणाली का प्रमाण होता है। सारांश में इस सिद्धान्त का उद्देश्य कार्मिक द्वारा कारित

कृत्यों एवं घटनाओं से संबंधित होता है जिन्हें अधिक प्रसंम्भवता के माना जा सके। प्रश्नगत प्रकरण में निश्चय ही याचिनी का आचरण और उसके विरूद्ध कार्यवाही इस सिद्धान्त से सर्वथा आच्छादित है, किन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में वृहद दण्ड की श्रेणी में नहीं आता।

23- याचिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारा ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट-ए नं0-9071/2024 अमर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय की ओर आकर्षित किया जिसकी छायाप्रति लिखित बहस के साथ दाखिल की गयी है। उक्त निर्णय का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याची की याचिका को स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया हैः-

> *"Consequently, the writ petition is allowed and therefore the dismissal order dated 07th September, 2020 is quashed. The Court orders the petitioner's reinstatement with all consequential benefits. The State Government is directed to impose a minor punishment, such as a warning taking into account the petitioner's admission of the mistake and lack of evidence of any damage caused by the message."*

24- उपरोक्त विवेचन के आलोक में वर्तमान प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याचिनी का मामला उपरोक्त प्रकरण से समतुल्यता की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में हमारे विचार से विपक्षी को यह निर्देशित किया जाना उचित होगा कि वे याचिनी को वृहद दण्ड के स्थान पर कोई लघुदण्ड प्रदान करें।

आदेश

निर्देश याचिका अंशतः स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 06-11-2019 (संलग्नक सं0-1) अपास्त किया जाता है। उक्त वृहद दण्डादेश के आधार पर रोके गये समस्त पारिणामिक सेवा लाभ याचिनी प्राप्त करने की अधिकारी है यदि उसके विरूद्ध कोई अन्य प्रतिकूलता न हो। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय में की गयी विवेचना के प्रकाश में प्रकरण में याचिनी को लघुदण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश इस निर्णय की सत्प्रतिलिपि प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर पारित करना सुनिश्चित करें।

उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/-(रविन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (न्या0)

ह0/- (योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्क्षरित, दिनाँकित व उद्‌घोषित किया गया

ह0/–	**ह0/–**
(रविन्द्र नाथ त्रिपाठी)	**(योगेश्वर राम मिश्र)**
सदस्य (न्या0)	**सदस्य (प्रशा0)**

दिनांक : 08/12/2025.
एच0के0आर0/पी0एस0